आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री राजपाल यादव, माननीय उपाध्यक्ष तथा
श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य के समक्ष
आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 688 से 694/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2007-08

मोहम्मद अतीक, भोपाल	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त 3 (1), भोपाल
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एजीडब्ल्यूपीए 6383 एन		
अपीलार्थी की ओर से	श्री गिरीश अग्रवाल तथा सुश्री निशा लाहोटी, प्राधि.प्रति.	
राजस्व की ओर से	श्री एस.एस.मंत्री, आयकर आयुक्त	
सुनवाई तिथि	08.06.2021	
उद्घघोषणा तिथि	28.06.2021	

आदेश

न्यायपीठ द्वारा

निर्धारण वर्ष 2001-02 से 2007-08 से संबंधित निर्धारिती की उपरोक्त शीर्षक की अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-2, भोपाल द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(सी) के अधीन पारित अलग-अलग आदेशों सभी दिनांक 16.04.2019 के विरूद्ध अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर निदेशित हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने दावा किया कि क्वांटम परिवर्धन जिनके आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित की गई थी, उन्हे आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ द्वारा आ(एसएस) अ.सं. 30 से 37/इंदौर/2016 में आदेश दिनांक 16.02.2021 के द्वारा निर्धारण आदेशों को निरस्त करके हटाया गया है अतः

वर्तमान अपीलों में शास्ति अस्तित्व में नहीं रहेगी । निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने सुसंगत न्यायिक उद्घोषणाओं पर निर्भरता रखते हुए लिखित निवेदनों में किए हुए निवेदनों को दोहराया।

3. विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर पाये कि क्वांटम परिवर्धन आयकर अपीलीय अधिकरण-द्वारा हटाये गये हैं ।

4. हमने परस्पर विरोधी निवेदनों को सुना है तथा हमारे समक्ष उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है । हमने पाया कि आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ ने आ(एसएस) अ.सं. 30 से 37/इंदौर/2016 में आदेश दिनांक 16.02.2021 के द्वारा निर्धारण आदेशों को निरस्त करके क्वाटंम परिवर्धनों को हटाया हैं । अतः हमारा विचारपूर्ण अभिमत है कि जब वे परिवर्धन ही हटाये गये हैं जिनके आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्तियां अधिरोपित की गई हैं, तब उन पर अधिरोपित शास्तियां भी अस्तित्व में नहीं रहेगी अतः हम विचाराधीन निर्धारण वर्षों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अधीन शास्तियां हटाते हैं ।

5. परिणामतः, निर्धारिती की सभी अपीलें स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 28.06.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-
(राजपाल यादव)
उपाध्यक्ष

हस्ता/-
(मनीष बोरड)
लेखा सदस्य

दिनांक : 28.06.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल